

प्रश्न सं. [क. 4512]

परिशिष्ट –“अ”
अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4512
द्वारा:— विधायक श्री धरमू सिंह सिरसाम

1. माह मई-जून, 2020 में तहसीलदार शाहपुर के पत्र क्रमांक टीआर/2020/479 दिनांक 20.05.2020 के प्रतिवेदन पर एफ0आई0आर0 दर्ज की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

- (i) अपराध क्रमांक 207/20 धारा 379 भादवि ।
(ii) फरियादी:— नरेन्द्र सिंह ठाकुर तहसीलदार नि0 तहसील शाहपुर जिला बैतूल
(iii) जप्त माल:— निम्नानुसार है—

क्रमांक	वाहन क्रमांक	नाम चालक	नाम वाहन मालिक	जप्ती रेत की मात्रा
1.	एमपी-48 एच-0921	संजू विश्वकर्मा	तौफीख खान	9.24 घन मीटर
2.	एमपी-48 एच-0849	सुरेश	महेन्द्र खलतकर	10.164 घन मीटर
3.	एमपी-48 एच-0612	कुण्डलिक राव	गजेन्द्र खलतकर	10.164 घन मीटर

2. 06 वाहन चालकों द्वारा वाहनों में भरी हुई अवैध रेत खाली कर वाहन छोड़कर फरार हो जाने पर तहसीलदार शाहपुर के लिखित प्रतिवेदन पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई—

- (i) अपराध क्रमांक 216/20 धारा 379 भादवि ।
(ii) फरियादी:— लक्ष्मीचंद चतुरकर पिता भैया चतुरकर(पटवारी) नि0 शाहपुर बैतूल
(iii) जप्त माल:— निम्नानुसार है—

क्रमांक	वाहन क्रमांक	नाम चालक	नाम वाहन मालिक	जप्ती रेत की मात्रा
1.	एमपी-48 एच-5317	मुकेश सिंह कुमारे	प्रणय पाठक	12.21 घन मीटर
2.	एमपी-48 एच-1004	ओमप्रकाश चौरे	सुमित राठौर	—
3.	एमपी-48 एच-1219	तुकाराम खाड़े	देवीदास खाड़े	—
4.	एमपी-28 जी-2277	दीपक चिल्हाटे	माखन राठौर	—
5.	एमपी-48 एच-1283	महेन्द्र गीद	प्रकाश अडलक	—
6.	एमपी-04 जीए-4614	भीकम खण्डेलवाल	भुवनलाल बुआड़े	—
7.	एमपी-48 एच-0571	रमेश उबनारे	अजय बर्डे	—

मनुभाषा
मध्य प्रदेश शासन,
द (पुलिस) विभाग, बी (1)
मन्डल, भोपाल

03/03/21
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL